"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016— चैत्र 3, शक 1938

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक 843/552/2016/19/तक-4. — भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. आठ) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4744/लो.नि.वि./02/19, दिनांक 2 सितम्बर, 2002, के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सूरजपुर जिले में अम्बिकापुर-प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 18/10, 23/8-10, 40/10 पर स्थित फुलझर महान बाकी नदी के पुल पर पथकर की वसूली 1 अप्रैल, 2016 से समाप्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

क्रमांक 843/552/2016/19/तक-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 843/552/2016/19/तक-4, दिनांक 21-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 21st March 2016

NOTIFICATION

No. 843/552/2016/19/T-4.— In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), and in pursuance of the Department Notification No. 4744/PWD/02/19, dated 2nd September 2002, the State Government, hereby, revokes the levy of toll tax on Phuljhar Mahan Banki River Bridge located on 18/10, 23/8-10, 40/10 km. of Ambikapur Pratappur Marg in Surajpur District with effect From 1st April, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.